भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1579

(31 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 के अंतर्गत अधिसूचना की स्थिति तथा वित्तपोषण का सूत्र

1579 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार किन-किन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने विकसित भारत-जी राम जी योजना के क्रियान्वयन के लिए औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है तथा किन राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अभी तक अधिसूचना जारी किया जाना बाकी है;

(ख) 16वें वित्त आयोग के क्षैतिज संसाधन-वितरण के सिद्धांतों के आधार पर, अधिसूचित किया गया केंद्र तथा राज्य द्वारा वित्तपोषण के वितरण के अनुपात का राज्य-वार अंतिम सूत्र क्या है; और

(ग) उक्त योजना के लिए घोषित ₹95,692 करोड़ के अंतरिम आवंटन में से आज की तिथि के अनुसार राज्यों को वास्तव में कितनी धनराशि राज्य-वार निर्गत की गई है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क): विकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम, 2025 दिनांक 1 जुलाई, 2026 से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो गया है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विकसित भारत- जी राम जी योजना को अधिसूचित किया है, और इसका कार्यान्वयन शुरू कर दिया है।

(ख) और (ग): विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 की धारा 22 की उप-धारा (4) के अनुसार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकने वाले वस्तुनिष्ठ मानकों के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य-वार मानक आवंटन निर्धारित करेगी। चूंकि अधिनियम के तहत संबंधित नियम एवं उप नियम अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं, इसलिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27

के लिए ₹ 95,692.31 करोड़ का अंतरिम आवंटन किया गया है। तदनुसार, केंद्रीय निधि जारी करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त पात्र अनुरोधों/मांगों के आधार पर, वीबी-जी राम जी योजना के तहत पहली किस्त के रूप में ₹ 25,844.97 करोड़ की वित्तीय मंजूरी जारी की गई है। दिनांक 27.07.2026 की स्थिति के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान वीबी-जी राम-जी के तहत अंतरिम आवंटन और मूल स्वीकृति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 31.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1579 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान 27.07.2026 तक वीबी-जी राम-जी के तहत किए गए अंतरिम आवंटन और मूल स्वीकृति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण।

(आँकड़े- ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अंतरिम आवंटन	पहली किश्त के रूप में जारी मूल स्वीकृति
1.	आंध्र प्रदेश	7707.21	2545.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	560.7	147.55
3.	असम	1929.7	630.96
4.	बिहार	6715.83	1663.56
5.	छत्तीसगढ़	3354.85	1006.46
6.	गोवा	3.7	1.23
7.	गुजरात	1540.54	310.64
8.	हरियाणा	590.19	194.93
9.	हिमाचल प्रदेश	1203.28	397.41
10.	झारखंड	2705.64	786.72
11.	कर्नाटक	5709.9	1750.88
12.	केरल	3136.44	925.33
13.	मध्य प्रदेश	6252.03	630.76
14.	महाराष्ट्र	4420.32	1459.92
15.	मणिपुर	581.99	192.21
16.	मेघालय	1155.09	381.50
17.	मिजोरम	611.65	199.21
18.	नागालैंड	287.85	95.07
19.	ओडिशा	3763.8	932.32

20.	पंजाब	1331.61	439.80
21.	राजस्थान	7581.87	2274.37
22.	सिक्किम	97.57	32.23
23.	तमिलनाडु	7585.49	2176.84
24.	तेलंगाना	3825.31	1263.41
25.	त्रिपुरा	1041.7	344.05
26.	उत्तर प्रदेश	9721.48	3210.76
27.	उत्तराखंड	626.43	193.78
28.	पश्चिम बंगाल	8508	1264.49
29.	पुदुचेरी	40.56	12.88
30.	जम्मू और कश्मीर	1151.2	380.21
31.	अंडमान और निकोबार	4.44	0
32.	लद्दाख	85.98	0
33.	दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव	9.02	0
34.	लक्षद्वीप	0.32	0
	कुल	**93841.69**	**25844.97**
	सामाजिक लेखापरीक्षा और केंद्रीय प्रशासन के लिए निधि	1850.62	
	सकल योग	**95692.31**	